

कार्यालय अधिष्ठाता,
छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Email: deanmedicalcollegehindwara@gmail.com

क्रमांक/अधि./सिम्स/2025/3165

छिन्दवाड़ा, दिनांक:-20/03/2025

-: नोटिस इन्वाइटिंग कोटेशन :-

छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा में विभिन्न लेक्चर थ्रेटर हेतु 05 नग बायोमेट्रिक मशीन एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेतु 01 नग 2 टन का स्प्रीट ए.सी. की आवश्यकता है।

S. No.	Item Name	Specification	Unit
1.	Biometric Machine	zkteco/Essl/Ramex	05 Nos
2.	2 Ton Sprit AC	Havells/Carrier	01 Nos

उक्त उपकरणों की प्रदायगी हेतु इच्छुक एजेंसी/फर्म/ठेकेदारों से मुहरबंद कॉटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कॉटेशन जमा करने की प्रारंभ दिनांक-21/03/2025 एवं अंतिम दिनांक-24/03/2025 शाम 5:00 बजे तक है।

सामान्य नियम एवं शर्तें:-

- दिनांक-24/03/2025 तक छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा विभिन्न लेक्चर थ्रेटर हेतु 05 नग बायोमेट्रिक मशीन एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेतु 01 नग 2 टन का स्प्रीट ए.सी. की प्रदायगी हेतु इच्छुक एजेंसी/फर्म/ठेकेदारों को मुहरबंद कॉटेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- कोटेशन को संलग्न निर्धारित प्रारूप में अधिकृत एजेंसी/फर्म/ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- कॉटेशन एक शीलबंद लिफाफे में होना चाहिए जिस पर इन्क्वायरी रिफरेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
- दर (प्राइस विड) निर्धारित प्रपत्रों में भरकर स्वहस्ताक्षरित कर संस्था में जमा करना अनिवार्य है।
- समस्त दरों को माल दुलाई शुल्क, बीमा, इन्स्टॉलेशन चार्ज समेत दर प्रपत्र में भरना होगा।
- समस्त कोटिड दर कॉटेशन ऑपन होने की तारीख से 180 दिन तक वैध होगी।
- एल 1 (न्यूनतम दर) कम्पैरेटिव स्टेटेमेंट के आधार पर निर्धारित की जाएगी एवं न्यूनतम दर कार्यादेश जारी करने हेतु बाध्य नहीं होगी।
- कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से अधिकतम 03 दिवस होगी।
- यदि अधिकृत एजेंसी/फर्म/ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण करने में असफल होता है तो संस्था को उचित कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भुगतान की शर्तें-

- निर्धारित समय के भीतर एजेंसी/फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य को संतोषजनक तरीके से पूर्ण करने तथा संस्था के प्रतिनिधि के निरीक्षण के बाद अधिकृत एजेंसी/फर्म/ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. सम्मिलित देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् देयकों का प्रमाणन होने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
- विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- कार्य की आवृत्ति को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा को होगा।
- किसी भी कॉटेशन को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार सिम्स छिन्दवाड़ा के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

